



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 1477 वर्ष 2026

विजय लक्ष्मी और 9 अन्य
याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य
.....उत्तरदाता(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : अंकित सिंह प्रतिवादी(यों) के
अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता
माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

- कुछ बहस के बाद, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने शुरुआत में बयान दिया है कि वे इस स्तर पर रिट याचिका को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं और इसे वापस लेना चाहते हैं, साथ ही उचित समय पर उचित मंच पर जाने की स्वतंत्रता भी चाहते हैं।
- उपरोक्त कथन के मद्देनजर, यह रिट याचिका उपर्युक्त स्वतंत्रता के साथ वापस ले ली गई मानकर खारिज की जाती है।
- एफआईआर की प्रमाणित प्रति नियमों के अनुसार वापस कर दी जाए।

3 फरवरी, 2026

केएस

(न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"